न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 56/2021

1. वाहिद अली पुत्र रहीम, जाति कायमखानी, निवासी बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं
2. मो. अयुब पुत्र इलिसास जाति व्यापारी निवासी बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. नायब तहसीलदार, उप तहसील बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू ।
2. ओमप्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद ब्राहम्मण निवासी वार्ड नंबर 17 बिसाऊ, जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंटस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम मो. आमीन वगैरह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 75/2017 निर्णय दिनांक 14.07.2021

उपस्थिति:–

1. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट ---- --------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक -----रेस्पोडेन्ट नं01 की ओर से।
3. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट --------------रेस्पोडेंट नंबर. 2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 25.01.2023

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.07.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मो आमीन वगैरह मु0 नं0 75/2017 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – कस्बा बिसाऊ नगरपालिका बिसाऊ के तह[illegible] में धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही नगरपालिका बिसाऊ के [illegible] है [illegible]नगरपालिका बिसाऊ को पक्षकार बनाये बिना अदालत मातहत [illegible] एक्ट की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

का अधिकार नहीं है। इस बाबत अदालत मातहत ने गौर ना कर मनमाने रूप से अपीलांट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 08.01.2018 में अपीलांट ने जवाब पेश किया व अपीलांट के जवाब को आधार मानकर के अदालत मातहत भू.अं. निरीक्षक को मौका स्थिति जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिये लिखा था, परन्तु पत्रावली पर इस तरह की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस तरफ अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलांट के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अदालत मातहत की मिसल पर तारीख पेशी 11.6. 2018 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने पर पत्रावली में तारीख पेशी 21.8.2018 नियत की गई व दिनांक 6.1.2021 को पत्रावली में आर्डरसीट दर्ज कर पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 8.2.2021 नियत की गई, परन्तु अदालत मातहत ने इस तरफ गौर नहीं किया कि पुनः नोटिस क्यों केवल तारीख पेशी के लिए ही नेटिस जारी करने चाहिये थे। पुनः अतिक्रमण के नोटिस जारी करने में अदालत मातहत ने गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का कोई आदेश पारित नहीं किया। बिना अपीलांट को सुने अदालत मातहत ने अपीलांट के खिलाफ निर्णय पारित करने में गलती कानूनी की है मो. आमीन का देहान्त हो चुका है। इस कारण मृतक के विरूद्ध निर्णय बेअसर है। अदालत मातहत की पत्रावली में दिनांक 8.2.2021 को पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज कर रखा है व आदेश पारित कर दिया कि पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है कि अपीलांट का अतिक्रमण है या नहीं यह स्पष्ट ना होने से स्पष्ट रिपोर्ट हेतु पुनः लिखा है व रिपोर्ट मांगी है व बाद में आर्डर सीट प्राप्त होना दर्ज नहीं है व पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट में दिनांक 14.7.2021 तारीख पेशी में रख दी व दिनांक 14.7.2021 में गठित टीम की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली में कहीं भी टीम गठन करने के बाबत आदेशिका में कोई आदेश नहीं है। इस बाबत अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अदालत मातहत ने अपनी आदेशिका दिनांक [illegible].2.20[illegible] से निर्णय पारित करने की दिनांक 14.7.2021 तक किसी भी आदेशिका में अपीलांट के उप[illegible] बाबत अनुपस्थिति बाबत या एक तरफा कार्यवाही बाबत कोई किसी भी आदेशिका में हवाला [illegible] नहीं है। इस तरफ अदालत मातहत ने गौर ना कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

धारा 91 एलआर एक्ट का संयुक्त नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। इस बाबत भी अदलत मातहत ने गौर ना कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित करने में गलती कानूनी की है। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 14.7.2021 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– कस्बा बिसाऊ नगरपालिका बिसाऊ के तहत आता है व नगरपालिका क्षेत्र में धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही नगरपालिका बिसाऊ के आवेदन ही की जा सकती है। नगरपालिका बिसाऊ को पक्षकार बनाये बिना अदालत मातहत को धारा 91 एल. आर. एक्ट की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.01.2018 में अपीलांट ने जवाब पेश किया व अपीलांट के जवाब को आधार मानकर के अदालत मातहत भू.अं. निरीक्षक को मौका स्थिति जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिये लिखा था, परन्तु पत्रावली पर इस तरह की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है, जिससे यह साबित हो कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल पर तारीख पेशी 11.6.2018 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने पर पत्रावली में तारीख पेशी 21.8.2018 नियत की गई व दिनांक 06.1.2021 को पत्रावली में आर्डरसीट दर्ज कर पुनः नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.2.2021 नियत की गई, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि पुनः नोटिस क्यों, केवल तारीख पेशी के लिए ही नेटिस जारी करने चाहिये थे। पुनः अतिक्रमण के नोटिस जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गलती कानूनी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का कोई आदेश पारित नहीं किया। बिना अपीलांट को सुने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ निर्णय प[illegible] देहान्त हो चुका है। इस कारण मृतक के विरूद्ध निर्णय बेअसर है। [illegible] दिनांक 08.2.2021 को पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज क[illegible] दिया कि पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है कि अपीलांट का अतिक्रमण है या नहीं यह स्पष्ट ना होने से स्पष्ट रिपोर्ट हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

3/8/21

पुनः लिखा है व रिपोर्ट मांगी है व बाद में आर्डर सीट प्राप्त होना दर्ज नहीं है व पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट में दिनांक 14.7.2021 तारीख पेशी में रख दी व दिनांक 14.7.2021 में गठित टीम की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी टीम गठन करने के बाबत आदेशिका में कोई आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 8.2.2021 से निर्णय पारित करने की दिनांक 14.7. 2021 तक कसी भी आदेशिका में अपीलांट के उपस्थित बाबत अनुपस्थिति बाबत या एक तरफा कार्यवाही बाबत कोई किसी भी आदेशिका में हवाला दर्ज नहीं है। कानूनन धारा 91 एल.आर एक्ट का संयुक्त नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। अंत में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.7.2021 को निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि खसरा नंर 867 रकबा 0.38 हैक्टर किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 25 वर्ग मीटर भूमि पर दीवार बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी कर विधिवत रूप से सुना जाकर निर्णय दिनांक 14.7.2021 पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट नंबर–3 ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त गैर मु0रास्ते पर अपीलांट वाहिद अली ने अवैध अतिक्रमण किया है। रेस्पोडेंट नंबर –3 की खातेदारी भूमि में आने– जाने का एकमात्र रास्ता यही है। प्रार्थी रेस्पोडेंट की शिकायत पर ही अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा अपीलांट को विधिक प्रकिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय दिनांक 14.7.2021 पारित किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि नगरपालिका बिसाऊ के क्षेत्र में होने से बिना नगरपालिका को पक्षकार बनाये केवल हल्का पटवारी की अतिक्रमण की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वा[illegible]ट के विरूद्ध एक तरफा बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अ[illegible] की सुनवाई का [illegible] अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 08.2.2021 को [illegible]टवारी की रिपोर्ट प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

होना दर्ज कर आदेश पारित किया गया है कि पटवारी की स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है कि अपीलांट का अतिक्रमण है या नहीं, यह स्पष्ट ना होने से स्पष्ट रिपोर्ट हेतु पुनः लिखा है व रिपोर्ट मांगी है व बाद में आर्डर सीट में रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज नहीं है व पत्रावली वास्ते इंतजार रिपोर्ट में दिनांक 14.7.2021 तारीख पेशी में रख दी व दिनांक 14.7.2021 में गठित टीम की रिपोर्ट प्राप्त होना दर्ज कर अपीलांट के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कहीं भी टीम गठन करने के बाबत आदेशिका में कोई आदेश नहीं है.....आदि। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 उनवानी सरकार बनाम मो. आमीन वगैरा मु0 नं0 75/2017 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार बिसाऊ को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विद्वान अधिवक्त अपीलांट द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये उभय पक्षकारान की बाद सुनवाई पूर्ण विवेचना के साथ पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करें। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:35:39 IST
Reason: SelfAttested